

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)  
पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 73/2022

**बउनवान**  
रामसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी परोलिया तहसील छबड़ा  
(अपीलांट)

**बनाम**  
राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, छबड़ा जिला बारों  
(रेस्पोडेन्ट)

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956**  
उपस्थित :- 1. श्री संजय नागर अभिभाषक (अपीलांट)  
2. परोकार सरकार (रेस्पोडेन्ट)

**निर्णय दिनांक 28.03.2022**

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 1111/2020 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दि. 06.03.2020 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम परोलिया की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2076 मे खसरा नम्बर 139 की रकबा 4 बीघा भूमि पर फसल गेहूँ एवं लहसुन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 200/- रुपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 30.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**अपीलांट के अभिभाषक** ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना व बिना किसी स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य लिये निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सजायाब किया है। अधी. न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट ने तावान राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.03.2020 का निरस्त फरमाया जावें।

इसके विपरीत परोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांत द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल गेहूँ एवं लहसुन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांत को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलांत द्वारा पूर्व में भी सम्वत् 2075 में इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 1313/19 के निर्णय दिनांक 18.03.2019 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलांत द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में भी इसी आराजी पर किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा 4 बीघा अधिक है। अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलांत वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, छबड़ा में उपस्थित रहा है। हम परोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं कि अपीलांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 1111/2020 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 06.03.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक **28.03.2022** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( बृजमोहन बैरवा )  
अति० जिला कलक्टर, बारों